WWJMRD 2018; 4(12):104-106
www.wwjmrd.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
E-ISSN: 2454-6615

अनुराग यादव
इतिहास एवं भारतीय संस्कृति
विभाग विष्वविद्यालय, जयपुर
राजस्थान

Correspondence:
अनुराग यादव
इतिहास एवं भारतीय संस्कृति
विभाग विष्वविद्यालय, जयपुर
राजस्थान

आधुनिक भारत में अछूतोद्धार के विभिन्न प्रयास (अलवर के विशेष संदर्भ में)

अनुराग यादव

सारांश
यूरोपीयन शक्ति ने भारत में आकर जिस भारतीय समाज की विचित्र विशेषता को देखा वो थी, भारतीय जातीय व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की अपेक्षा इसका अधिक चलन था। जाति सामाजिक व्यवहार के नियमों को निश्चित करती है, जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। एक जाति की प्रथाएं, रीतियां एवं व्यवहार के नियम दूसरी जाति से भिन्न होते हैं। धीरे–धीरे ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप जो नया समाज विकसित हुआ उसका स्वरूप अलग था। उनके अनुसार परम्परागत सामाजिक संस्थाओं और नैतिक धारणाओं में बदलाव लाना अत्यावश्यक था, क्योंकि यह राष्ट्र की प्रगति और खुशहाली में बाधक था। अतः नयी सामाजिक आवश्यकताओं, नए संबंधों, नए विचारों के सृजन समाज में प्रचलित रूढ़ियों और पश्चिमी शासन से उत्पन्न नई विचारधारा को भारतीय परम्परागत मूल्यों में इन सामाजिक भेदभाव के विरूद्ध समाज सुधारकों द्वारा आंदोलन चलाए गए।[1]

मुख्य शब्द :- आधुनिक भारत, यूरोपीयन शक्ति, जाति सामाजिक व्यवहार, ब्रिटिश शासन

प्रस्तावना
सुधार आंदोलन – जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करने वाला प्रथम महत्वपूर्ण तत्व पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार था। अंग्रेज अपने साथ भारत में जातिहीन संस्कृति तथा मानव स्वतंत्रता संबंधी विचारों से परिपूर्ण साहित्य लाए। जिन भारतीयों ने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन–अध्यापन किया, उन पर अंग्रेज लेखकों के विचारों का प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानन्द ने कहा, ''जाति व्यवस्था धर्म अथवा वेदांत के विपरीत है।'' हमारे सभी उपदेशकों ने इसे समाप्त करने का प्रयास किया है। बौद्धमत स लेकर प्रत्येक मत ने जाति के विरूद्ध आवाज उठाई है। परन्तु प्रत्येक बार इसने अपनी पकड़ को अधिक मजबूत बना लिया। सुधारक राजा राममोहन राय एवं देवेन्द्रनाथ टैगोर के भ्रातृभाव के लक्ष्य को लेकर आंदोलन आरंभ किए। ब्रह्म समाज का आदर्श ऐसे समाज की स्थापना थी, जिसमें जाति के आधार पर मनुष्यों का विभाजन नहीं होगा।

महात्मा गांधी– पूना समझौते (26 सितंबर 1932 ई.) के तहत प्रांतीय विधानमंडलों मे दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी थी। इसके बारे में गांधीजी ने कहा, ''मैं अपने हरिजन भाईयों को इसे पूरी तरह पालन का विश्वास दिलाता हूं।'' गांधीजी ने अपने वचन को पूरा करने के प्रयास में जुट गए लगभग दो साल तक गांधीजी सारा कामकाज छोड़कर ''छुआछूत निवारण आंदोलन'' में जुटे रहे। इसके खिलाफ उन्होंने बड़ा जबरदस्त आंदोलन चलाया। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधीजी ने अपनी 'हरिजन यात्रा' आरंभ की। 29 जुलाई 1934 तक यानी नौ महीने तक देश का दौरा करते रहे। उन्होंने 20 हजार किलोमीटर की यात्रा की। ट्रेन, कार, बैलगाड़ी

और जहां कुछ नहीं मिला वहां पैदल गए। छुआछूत उन्मूलन के लिए जबरदस्त प्रचार किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं से सबकुछ छोड़कर हरिजनों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उत्थान के लिए ही दिया। हरिजन उत्थान के इस आंदोलन के दौरान गांधीजी दो बार यानी 8 मई व 16 अगस्त 1933 को लम्बे समय अनशन पर बैठे।[2]

अनशन का उद्देश्य अपने समर्थकों को इस मामले की अहमियत और गंभीरता समझाना था, उन्हें संतुष्ट करना था। गांधीजी ने कहा था ''या तो वे छुआछूत को जड़ से समाप्त करें या फिर मुझे अपने बीच से हटा दें''।

अपने हरिजनोत्थान आंदोलन के दौरान गांधीजी हमेशा कुछेक मूलभूत चीजों पर जोर देते रहे। इसमें एक हरिजनों पर अत्याचार का मामला था। हरिजन अत्याचार के खिलाफ गांधीजी की आवाज दिन–ब–दिन प्रखर होती जा रही थी। वह कहते थे ''हरिजनों की सामाजिक हैसियत कुष्ठ रोगियों जैसी है। आर्थिक रूप से वे दरिद्र हैं। धार्मिक स्तर पर उनके हालात ये हैं कि उन्हें अपने ही हिन्दू भाई मंदिरों में, जिन्हें हम झूठमूठ में ईश्वर का घर मानते हैं, घुसने नहीं देते। सार्वजनिक स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों, कुओं इत्यादि का भी वे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नगरों और गांवों में इन्हें ऐसी जगह बसाया जाता है, जहां किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है।'' दूसरा मुद्दा जिस पर गांधीजी बहुत जोर देते थे, वह था छुआछूत को जड़ से समाप्त करना। इसके लिए उन्होंने मंदिरों में प्रवेश के आधिकार की मांग की। उनका कहना था कि समाज में छुआछूत की कुरीति का जो स्वरूप है उसका हिन्दू शास्त्रों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। हिन्दू शास्त्र इसे मान्यता नहीं देते। उनका कहना था कि यदि किसी शास्त्र या किताब में इस कुरीति को मान्यता भी दी गई हो, तो भी हरिजनों को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्य किसी पुस्तक का बंधक नहीं है। यदि शास्त्र मानव गरिमा की अवहेलना करते हैं, तो उन्हें नकार दिया जाना चाहिए।[3]

गांधीजी ने 1932 ई. में 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की। उन्होंने एक पत्रिका हरिजन निकाली। गांधीजी ने 1932 ई. में बम्बई में 'आल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन' की स्थापना की।

ज्योतिबा फुले – महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले ने छुआछूत विरोधी आंदोलन चलाया। इन्होंने 1872 में एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी तथा 1873 ई. में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनकी एक अन्य पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक भी है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर – अम्बेडकर जी एक अस्पृश्य जाति माहर से संबंधित थे। डॉ. अम्बेडकर ने निम्न जातियों को संगठित करने की मांग की ओर मंदिरों में अस्पृश्यों के प्रवेश हेतु आंदोलन चलाया। 1920 ई. में इन्होंने 'दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लाश फेडरेशन' की स्थापना की। 1924 ई. में बम्बई में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। 1927 ई. में इन्होंने हिन्दुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए 'समाज समता संघ' स्थापित किया। दिसम्बर 1927 में इन्होंने सार्वजनिक कूपों तथा तालाबों से पानी लेने के लिए और अछूतों के अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। 1942 ई. में इन्होंने 'अनुसूचित जाति परिसंघ' की स्थापना की।

नारायण गुरु – अब्बीपुरम आंदोलन केरल के महान् धार्मिक सुधारक नारायण गुरु द्वारा 1888 ई. में चलाया गया। यह आंदोलन निम्न जाति में धार्मिक छूट को लेकर था।

आत्म–सम्मान आंदोलन – 1920 के दशक में रामास्वामी नायर उर्फ पेरियार ने आत्म–सम्मान आंदोलन को प्रारंभ किया। मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश और मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए आंदोलन किए। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की जिसे 'सच्ची रामायण' कहा जाता है।

वायकूम सत्याग्रह – त्रावनकोर के गांव वायकूम में इस आंदोलन की शुरूआत हुई। इस गांव के एक मंदिर में हरिजनों को घुसने नहीं दिया जाता था। इस आंदोलन में एन. कुमारन और टी. के. माधवन जैसे लोग शामिल थे। केरल कांग्रेस कमेटी ने 30 मार्च 1924 को हरिजनों की मंदिर में प्रवेश कराया।

गुरूवायूर सत्याग्रह – के. केलप्पन की पहल पर केवल कांग्रेस कमेटी ने 1931 में मंदिरों में प्रवेश के प्रश्न को फिर उठाया ओर 1 नबंवर 1931 को गुरूवायूर में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह छेड़ने का निर्णय लिया गया। अन्ततः नवबंर 1936 ई. में त्रावनकोर के राजा ने सभी मंदिरों को हिन्दुओं की सभी जातियों के लिए खोलने का आदेश दे दिया।[4]

ब्रिटिश काल में विधान – भारतीय सुधारकों के प्रयत्नों के अतिरिक्त अंग्रेजों ने भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर लेने के उपरांत पाश्चात्य संस्कृति को भारत पर थोपने का प्रयास किया। ऐसा करने में उनका देश में वर्तमान जाति व्यवस्था से संघर्ष हुआ। ब्रिटिश न्यायालयों एवं समान दंड संहिता की स्थापना से जातीय पंचायतों के क्षेत्राधिकार से अनेक ऐसे मामले छीन लिए गए। 1850 ई. के जाति असमर्थता उन्मूलन अधिनियम ने जाति व्यवस्था पर एक अन्य प्रहार किया। इस अधिनियम ने धर्म परिवर्तन की, सम्पत्ति के अधिकार को प्रभावित किए बिना अनुमति दी। इसके बाद 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसने किसी भी जाति अथवा धर्म के व्यक्ति को किसी अन्य जाति अथवा धर्म में विवाह करने की अनुमति दे दी। ब्रिटिश शासकों ने अछूतों के

शिक्षा संबंधी अधिकार एवं सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता दे दी। 1925 ई. में मद्रास में सभी सार्वजनिक कुओं एवं पब्लिक स्कूलों को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया।

भारतीय संविधान द्वारा सुधारात्मक उपाय – जाति व्यवस्था पर सबसे क्रमबद्ध एवं प्रभावशाली प्रहार भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। इसकी प्रस्तावना में उद्घोषणा की गई है कि भारत के लोगों ने स्वयं को प्रजातंत्रीय, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी प्रभुसत्तात्मक गणराज्य में संगठित कर लिया है तथा संविधान का लक्ष्य भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए है। इस प्रकार न केवल अवसर अपितु परिस्थिति की समानता का भी आश्वासन दिया गया है। परिस्थिति की समानता का तात्पर्य अस्पृश्यता और ऊंच–नीच का भेदभाव मिटाना है।

समानता की गारंटी देते हुए भारतीय संविधान के अनु. 15 में लिखा है– कोई भी नागरिक धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर निम्न बातों के लिए अयोग्य या प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा–

1. दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में जाने से।
2. कुओं, तालाबों, नहाने के घाटों व सैर के स्थानों, जिनकी आंशिक अथवा पूर्ण राज्य के खजाने से देखभाल की जाती है अथवा जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खोले गए हैं।

- अनु. 17 ने अस्पृश्यता का उन्मूलन करते हुए इसे अपराध घोषित किया है। इस प्रकार संविधान ने जाति एवं इसके अस्पृश्य निरर्थक रीति–रिवाजों का उन्मूलन कर दिया है।
- संविधान का यह पवित्र वायदा है कि विधानमंडल एक ऐसे रिवाज का निर्माण करने का प्रयत्न करेगा, जिसमें परिस्थिति की समानता होगी।
- अनु. 46 'राज्य कमजोर वर्गों विशेषतया अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के वहन हेतु विशेष उपाय करेगा एवं उन्हें सामाजिक अन्याय तथा शोषण के रूपों से सुरक्षा प्रदान करेगा।'[5]
- अनु. 330 के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित होंगे।
- अनु. 332 के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे।
- अनु. 338 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा एक कल्याण हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान।
- अनु. 16 व 335 के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी।

अलवर में अछूतोद्धार– 1936 में दशहरे के अवसर पर अलवर की दलित बस्ती में पाठशाला खोली गई जिसमें सभी छात्रों को स्लेट बांटी गई।[6] अलवर के कवि सोमवंशी क्षत्रिय राजवंशी को वहां अध्यापक नियुक्त किया गया। इन्द्रसिंह भार्गव ने भी मोहल्ला श्योलालपुरा में एक और पाठशाला दलितों के लिए खोली। इन सुधारकों ने दलितों को अब विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रेरित किया। बिरला लैब के प्रधान वैद्य 'रसकेसरी' श्री पूरणचंद शर्मा वैद्यराज ने अलवर में 'शक्ति आयुर्वेद भवन' नाम की आयुर्वेद फार्मेसी स्थापित की थी।[7]

इस प्रकार 1923 ई. में हरिनारायण शर्मा ने अपने परिवार का मंदिर अछूतों के लिए खोलकर वैचारिक परिवर्तन और चेतना बढ़ाई और अन्य लोगों के लिए वे प्रेरणास्त्रोत बन चुके थे। 23 मई 1938 को चमार जाति द्वारा दिल्ली दरवाजे के बाहर गंगाजी के मंदिर में गंगा मेले का आयोजन किया गया जिसमें आम जनता ने उत्साह से भाग लिया।[8]

इस प्रकार आधुनिक भारत में समाज सुधारकों, ब्रिटिशकालीन कानूनों तथा भारतीय संवैधानिक प्रावधानों ने अछूतोद्धार का भरसक प्रयास किया है, जिनका प्रभाव आज समाज में हमें विभिन्न स्तरों पर देखने का मिल रहा है एवं उसके आशातीत परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं।

संदर्भ सूची :–

1. ए.आर. देसाई : भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, नई दिल्ली, 1977 पृ. 191
2. सुमित सरकार : मॉर्डन इंडिया 1885–1947, पृ. 88–93
3. श्री अरबिंद : रिनेंसा इन इंडिया, कलकत्ता– 1937 पृ. 24–25
4. एस.के. पांडे : आधुनिक भारत, प्रयाग प्रकाशन–2009 पृ. 211–213
5. डॉ. विकास सिंह : भारत का संविधान पृ. 62, 84, 298
6. बस्ता नं. 58 फा.नं. 8, एस–121, रा.रा. अभि. अलवर
7. बस्ता नं. 417 फा.नं. 3 तेज प्रताप, 9 अक्टूबर 1938 रा.रा. अभि. अलवर
8. बस्ता नं. 309 फा.नं. 18, 26–सी 1939 सीआईडी की गुप्त डायरी, 1–11–1949 रा.रा. अभि. अलवर